

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-७

लखनऊ : दिनांक : ०७ जून, २०२२

विषय : जनपद-गाजियाबाद में प्रस्तावित एयर-बस सिस्टम/रोप-वे के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-३११/१/४/ई.ई./जोन-६/२०२२ दिनांक १६.०३.२०२२ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमांक-१ पर अंकित वैशाली मेट्रो से मोहननगर मेट्रो स्टेशन तक चिन्हित मार्ग हेतु प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी गयी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डी.पी.आर., RFQ/RFP प्रपत्र एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट पर विचार करते हुए संदर्भित SOP दिनांक ०७.०३.२०२२ के प्रस्तर-३(B) में उल्लिखित विकल्प हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के साथ-साथ क्रमांक-II, III व IV पर अंकित मार्गों पर भी तदनुसार रोप-वे प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

२- आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक १६.०३.२०२२ में उल्लेख है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोप-वे से संबंधित परियोजनाओं को National Ropeways Development Program-Parvatmala Pariyojna के अन्तर्गत लिए जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लि० (NHLML) को आज्ञा-पत्र दिया गया है। तदक्रम में उपरोक्त संदर्भित SOP दिनांक ०७.०३.२०२२ के प्रस्तर-३ (Excution of projects) में उल्लिखित Option-B "Partnership between State Government and NHLML through independent execution by NHLML (support from State Government formalized through a State Support Agreement)" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित ०४ मार्गों पर रोप-वे प्रणाली विकसित किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

३- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

६.६.२०२२

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव